1/2019
संख्या–1660/24–पी–2–18–सा0(144)/17

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 2 जनवरी, 2019

विषयः– निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होगें की पेंशन/परिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1/2016/41/24–पी–2– 16–सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–3 (viii) में यह व्यवस्था प्राविधानित है कि "कोषागारों से भुगतान हेतु कट–आफ–डेट पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट–आफ–डेट 29 फरवरी, 2016 होगी। उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लम्बित पायी जाती है, तो उसका भुगतान वर्तमान संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तान्तरित कर दी जाये।"

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या–1/2016/41/24–पी–2–16–सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर–3 (viii) में प्राविधानित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित मानी जाये कि "**ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के पेंशनर्स**

उ0 प्र0 पा0 से0 इ0 ट्रस्ट
शक्ति भवन, लखनऊ।
आ0सं0........../ट्रस्ट
आवश्यक / महत्वपूर्ण
1. उपसचिव / अधिशासी अभियन्ता
2. लेखाधिकारी
3. स0 लेखाधिकारी श्री D/Bhupendera-Letter
4. कार्य अधिकारी श्री
5. लेखाकार श्री Kashyab
6. लेखाकार श्री
K.W.L

के समस्त देयों दिनांक 29.02.2016 के पूर्व के देयों को सम्मिलित करते हुए, का भुगतान कोषागारों के माध्यम से ही किया जाएगा।"

3— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–10–283/दस–2018, दिनांक 31.12.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–1660(1)/24–पी–2–2018 तददिनांक 1|2019|

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2— अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4— समस्त डिस्काम्स।
5— समस्त जिलाधिकारी।
6— निदेशक पेंशन निदेशालय उ0प्र0।
7— समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर, इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
उप सचिव।

D/Bhupendera-Letter